



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26]
No. 26]

नई दिल्ली, जून 23—जून 29, 2019, शनिवार/आषाढ़ 2— आषाढ़ 8, 1941
NEW DELHI, JUNE 23—JUNE 29, 2019, SATURDAY/ASADHA 2— ASADHA 8, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 जून, 2019

सा.का.नि.186.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रयोगशाला सहायक, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर भर्ती नियम, 1976 को उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर (प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-I) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: From amongst the Health Worker (Female) or Auxiliary Nurse Midwife or Multipurpose Worker (Female) working at Rural Health Training Centre, Najafgarh having five years service in level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100/-) and possessing the requisite qualifications required for direct recruits.	(I) Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Director, Rural Health Training Centre, Najafgarh. — Chairman; 2. Nursing Advisor, Ministry of Health and Family Welfare. — Member; 3. Deputy Director concerned in Directorate General Health Services. — Member. (II) Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:— 1. Director, Rural Health Training Centre, Najafgarh. — Chairman. 2. Nursing Advisor, Ministry of Health and Family Welfare. — Member 3. Deputy Director concerned in Directorate General Health Services. — Member.	Not applicable.

[F. No. Z-22017/08/2007-PMS-MH-I]

M.K.SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2019

सा.का.नि.189.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को जहां तक उनका संबंध तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने का अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीशियन	4* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500-81100)	अचयन	18-25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,

					सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं स्तर पास जिसके साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रशिक्षित और वातानुकूलन या यांत्रिक इंजीनियरी और विद्युत इंजीनियरी या विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी में डिप्लोमा हो।</p> <p>वांछनीय: औषधीय विनिर्माण उद्योग/वैकसीन का तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण-1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने की दशा में सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900-63200) में ऐसा मेकैनिक जिसने आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: संशोधित नियम अधिसूचित होने की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले व्यक्ति के लिए पात्र सेवा वही रहेंगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-2 (रु. 19900-63200) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखता हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(i) निदेशक, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई —अध्यक्ष</p> <p>(ii) पशु चिकित्सक, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई —सदस्य</p> <p>(iii) प्रशासनिक अधिकारी, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई —सदस्य</p> <p>(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई राजपत्रित अधिकारी —सदस्य</p> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>(i) निदेशक, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई —अध्यक्ष</p> <p>(ii) पशु चिकित्सक, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई —सदस्य</p> <p>(iii) प्रशासनिक अधिकारी, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई —सदस्य</p> <p>(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई राजपत्रित अधिकारी —सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

<p>हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

[फा.सं. ए-12018/13/2017-ईपीआई]

जी.के. पिल्लई, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2019

G.S.R. 189.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technician in BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Technician (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix or pay scale.**—The number of said post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technician	4* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial	Level -4 in the pay matrix. (Rs. 25500-81100)	Non-selection	Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in the case of general candidates and forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 12 th pass standard from a recognised Board with diploma in Refrigeration and Air-conditioning or Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Electrical and Electronics Engineering from a recognised Institute or University. Desirable: Three years experience of the Industry manufacturing of pharmaceuticals/ vaccines. Note1: Qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of	Not applicable	Two years for direct recruits	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment

<p>candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Mechanic with eight years of regular service in level-2, in the pay matrix (Rs. 19900-63200).</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors will also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: Eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department, or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-2, in the pay matrix (Rs. 19900-63200) in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (i) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai —Chairman; (ii) Veterinarian, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai —Member; (iii) Administrative Officer, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai —Member; (iv) Gazetted Officer from State Government or the Central Government. —Member;</p> <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) (i) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai —Chairman; (ii) Veterinarian, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai —Member; (iii) Administrative Officer, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai —Member; (iv) Gazetted Officer from State Government or the Central Government. —Member;</p>	<p>Not applicable.</p>

<p>deputation and similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. A-12018/13/2017-EPI]
G. K. PILLAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 जून, 2019

सा.का.नि.190.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई में पशु पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, पशु पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।